




राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)  
कमांक एफ 2(2)परावि/प्रशा1/वि.अ./संस्था/स्थाना/पदस्थापन/APO/2018/491 जयपुर दिनांक:- 8/3/2019  
आदेश

निम्नलिखित विकास अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर राज्यहित में तत्काल प्रभाव से किये जाते हैं:-

क्र.स.	नाम विकास अधिकारी सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती	कहां से (पं.स.)	कहां को (पं.स.)	विशेष विवरण
1.	नरपत सिंह भाटी	गलियाकोट(डूंगरपुर) से बाली (पाली) स्थानान्तरणाधीन	सहायक परियोजना अधिकारी जि.प. जैसमलमेर	
2.	देवेन्द्र कुमार	बामनवास (सवाईमाधोपुर) स्थानान्तरणाधीन	पिडावा (झालावाड)	रिक्त पद पर
3.	रविन्द्र प्रकाश आचार्य	चितलवाना (जालौर) से रानीवाडा (जालौर) स्थानान्तरणाधीन	लसाडिया (उदयपुर)	रिक्त पद पर

विभागीय आदेश कमांक 490 दिनांक 8.3.2019 द्वारा श्री भोपाल सिंह जोधा विकास अधिकारी का लसाडिया जिला उदयपुर, श्री रामवतार मीणा का पिडावा जिला झालावाड एवं श्री उदयसिंह मीणा का बौली जिला सवाईमाधोपुर किया गया स्थानान्तरण/पदस्थापन एतद्वारा निरस्त किया जाता है। उक्त अधिकारी अपने वर्तमान पदस्थापित स्थान पर ही कार्यरत रहेंगे।


उक्त अधिकारी प्रदत्त निर्देशों के अनुसार तत्काल कार्यमुक्त होकर बिना कार्यग्रहण काल का उपभोग किये अपनी उपस्थिति नव पदस्थापित स्थान पर प्रस्तुत करेंगे। इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

  
(सौरव चतुर्वेदी)

संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपंरा, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त मनरेगा, राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.), ग्रामीण विकास राजस्थान, जयपुर।
7. संभागीय आयुक्त, संबंधित।
8. जिला कलक्टर, संबंधित।
9. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
10. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित।
11. विकास अधिकारी पंचायत समिति संबंधित।
12. संबंधित अधिकारी को पालनार्थ।
13. ए.सी.पी मुख्यालय को एक प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
14. आदेश पत्रावली।

  
संयुक्त सचिव एवं उपायुक्त (प्रशा.1)